छात्रसंघ चुनाव 2022–23

सेठ आरएल सहरिया राजकीय पीजी महाविद्यालय, कालाडेरा, जयपुर

क्रमांक : मुचुअ / छात्रसंघ / सकाका / 2022 / 59 दिनांक : 25.08.2022

छात्रसंघ चुनाव हेतु मतगणना प्रक्रिया व उससे संबंधित आवश्यक निर्देश

1. मतगणना की प्रक्रिया दिनांक 27.08.2022 को प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ होगी।
2. समस्त मतगणना अधिकारी प्रातः 09:30 बजे तक मतगणना हेतु कक्ष संख्या 117 में अवश्य पहुंच जायें। एक बार मतगणना कक्ष में प्रवेश के लेने के पश्चात् मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थिति में कक्ष न छोड़ें।
3. मतगणना की सम्पूर्ण प्रक्रिया दो चरणों में सम्पन्न होगी :–
   (अ) मतपत्रों की पदानुसार छंटाई / वर्गीकरण – कक्ष संख्या : 117
   (ब) मतपत्रों की प्रत्याशी के अनुसार छंटाई / वर्गीकरण – कक्ष संख्या : 114,115,116,117

प्रथम चरण : मतपत्रों की पदानुसार छंटाई

1. प्रत्येक मतगणना दल को कक्ष 117 में एक–एक कर मतपेटियां मय चाबियों एवं संबंधित मतपत्र विवरण प्रपत्रों के उपलब्ध करवाई जावेंगी।
2. मुख्य मतगणना अधिकारी प्रत्येक मतपेटी की सील इत्यादि की जांच कर उसे क्रमानुसार खोलेंगे व प्रारम्भ में अपने दल के मतगणना अधिकारियों की सहायता से मुड़े हुये मतपत्र सेट्स को सीधा कर गिनेंगे व उनका मिलान मतपत्र विवरण प्रपत्र से करेंगे।
3. यदि कोई विसंगति हो तो उसका विस्तृत उल्लेख कर अपने हस्ताक्षर करेंगे। एक मतपेटी के मतपत्रों की गिनती व मिलान करने के बाद ही क्रमशः दूसरी व तीसरी (यदि कोई हो) मतपेटी खोलेंगे।
4. तदुपरान्त मतपत्रों की विभिन्न पदानुसार छंटाई पृथक–पृथक उपलब्ध टोकरियों / बॉक्स में रखकर करेंगे और 50–50 के सेट्स बनाकर पृथक–पृथक पदों के मतपत्रों के कुल योग का मिलान करेंगे। सभी चार पदों के मतपत्रों को पृथक–पृथक रबर बैण्ड से बांधेगे एवं प्राप्त मतपत्रों का विवरण तैयार करेंगे। विसंगति के उल्लेख के साथ पृथक–पृथक पदों के लिए मतपत्रों के बण्डल क्रमवार संबंधित अधिकारी द्वारा मांगने पर लाये जायेंगे।

द्वितीय चरण :मतपत्रों की प्रत्याशी के अनुसार छंटाई

1. प्रत्येक मतगणना दल को किसी विशिष्ट कक्ष में किसी पद विशेष के समस्त प्रत्याशियों के मतपत्र उपलब्ध करवाये जायेंगे।
2. मतगणना दल पहले यह जांच करेंगे कि प्राप्त हुये कुल मतपत्रों की संख्या उल्लिखित विवरणानुसार सही है अथवा नहीं।

Scanned with CamScanner

छात्रसंघ चुनाव 2022–23

3. तदुपरान्त मतगणना दल के सदस्य सर्वप्रथम वैध एवं अवैध मतपत्रों की छंटाई का कार्य करेंगे तथा अवैध मतपत्रों के बारे में स्वयं ही निर्णय करेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकेगा।

4. **मतपत्र निम्न स्थितियों में अवैध होंगे :–**

   A. पूर्णतः खाली मतपत्र।

   B. एक से अधिक प्रत्याशियों के नाम पर मुहर (एरो क्रॉस सील) लगाने पर।

   C. मुहर (एरो क्रॉस सील) के अतिरिक्त कोई अन्य विशिष्ट पहचान/चिह्न/संख्या आदि अंकित करने पर।

   D. मोहर के किसी एक विशिष्ट प्रत्याशी के पक्ष में झुकाव स्पष्ट न होने पर।

   E. कोई अन्य उल्लेखनीय कारण।

5. अवैध मतपत्रों की स्थिति पूर्णतया स्पष्ट होने के पश्चात् मुख्य मतगणना अधिकारी पहले समस्त अवैध मतपत्रों पर हस्ताक्षर करेंगे तथा अवैध मतपत्र की मोहर भी सभी अवैध मतपत्रों पर लगायेंगे। तदुपरान्त समस्त अवैध मतपत्रों के वांछित विवरण की पूर्तियां करते हुये पृथक लिफाफों में रखकर चपड़ी से सील कर देंगे।

6. **केवल शेष बचे वैध मतपत्रों की प्रत्याशी के अनुसार छंटाई प्रक्रिया :** प्रत्येक पद के कुल प्रत्याशियों की संख्या के समान ही टोकरियां/बॉक्स उपलब्ध करवाये जायेंगे, जिनमें छंटाई करते समय पृथक–पृथक प्रत्याशियों के मतपत्रों को पृथक–पृथक टोकरियों/बॉक्स में रखा जायेगा।

7. तदुपरान्त प्रत्येक प्रत्याशी को प्राप्त कुल मतों की गणना की जायेगी। मतगणना 50–50 की गड्डियां बनाकर की जायेगी व अन्तिम शेष मतपत्रों की गड्डी (जिसमें 50 से कम मतपत्र हो) पर संबंधित गड्डी में मतों की संख्या का उल्लेख किया जायेगा। 50–50 मतपत्रों की गड्डियां बनाते समय यह ध्यान रखना है कि मतपत्र उल्टे न रख कर सीधे रखे जायें।

8. संबंधित पद के सभी प्रत्याशियों को प्राप्त कुल मतों की संख्या को परिणाम पत्रक में लिखकर परिणाम तैयार किया जायेगा।

9. उपस्थित सभी प्रत्याशियों/अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवाकर परिणाम पत्रक पर सभी मतगणना अधिकारियों के हस्ताक्षर करवाकर परिणाम पत्रक मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंप दिया जावेगा। सभी मतगणना दल प्रत्याशी के अनुसार पृथक–पृथक मतपत्रों को सूतली से बांधकर कपड़े की थैली में रखकर चपड़ी से सील करेंगे तथा अन्य प्रपत्रों एवं लिफाफों आदि को सामग्री सहित जमा करा देंगे। कार्य समाप्ति पर सभी मतगणना अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से ही मतगणना कक्ष छोड़ें।

नोट :– मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक गैजेट यथा – मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस आदि मतगणना दल के अधिकारियों एवं प्रत्याशियों के पास नहीं होना चाहिए।

प्राचार्य 25/08/22

मुख्य निर्वाचन अधिकारी 25.8.22

E/a aa aaa/student election 2022-23/ 119

Scanned with CamScanner